

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प. 6(8)शिक्षा/ग्रुप-3/2019

जयपुर, दिनांक: 16.08.2019

—: आदेश :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2019-20 के बिन्दु संख्या 278.00 की अनुपालना के क्रम में 7 राजकीय महाविद्यालयों में उर्दू साहित्य विषय खोलने हेतु सहायक आचार्य के 7 नवीन पदों के सृजन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार शर्तों के अधधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

1. 7 राजकीय महाविद्यालयों में उर्दू साहित्य विषय खोलने हेतु प्रति महाविद्यालय 1 सहायक आचार्य के पद का सृजन, कुल 7 पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न विभागीय बजट मदों में प्रदान की जाती है-

क्र.सं.	विभागीय बजट मद (राज्य निधि स्कीम)	पद का नाम	पदों की संख्या	महाविद्यालयों के नाम
1	2202-03-103-(02)-[00]-01	सहायक आचार्य	06	पोकरण (जैसलमेर) एवं जैसलमेर मुख्यालय, कामां (भरतपुर), ब्यावर (अजमेर), राजकीय महाविद्यालय, नागौर, बांगड महाविद्यालय, डीडवाना (नागौर)
2	2202-03-103-(03)-[00]-01	सहायक आचार्य	01	कन्या महाविद्यालय, नागौर
		योग	07	

2. उक्त नवीन पदों के सृजन के स्वरूप आवृत्तक व्यय हेतु वित्तीय प्रावधान स्वीकृति के प्रस्ताव के संबंध में आयुक्त, कॉलेज शिक्षा उक्तानुसार 07 नवीन पदों के सृजन के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के संबंधित बजट मद में उपलब्ध प्रावधान से करावे एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आवश्यक राशि का आंकलन कर प्रस्ताव बीएफसी वर्ष 2020-21 एवं संशोधित अनुमान 2019-20 यथा समय वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 131900199 दिनांक 14.08.2019 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—Sd—
(रामस्वरूप चौहान)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को मय उनकी पत्रावली क्रमांक एफ 20(101/16) आयो/आकाशि/2019-20 मय नोटशीट के।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पोकरण (जैसलमेर) एवं जैसलमेर मुख्यालय, कामां (भरतपुर), ब्यावर (अजमेर), राजकीय महाविद्यालय, नागौर, बांगड महाविद्यालय, डीडवाना (नागौर), कन्या महाविद्यालय, नागौर द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 20 (101/05)/आयो/आकाशि/19-20/ 768

दिनांक: 20 अगस्त, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार, लेखा एव हक, राजस्थान, जयपुर।
- 2 संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 4 निजी सचिव शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर।
- 9 कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर, एम डी एस विश्वविद्यालय, अजमेर भेज कर लेख है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदया की घोषणा की अनुपालना में खोले गये नवीन विषयो का सम्बद्धता बिना विलम्ब शुल्क जारी करवाने का कष्ट करें।
- 10 निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
- 11 वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 12 संयुक्त निदेशक एच.आर.डी/प्रशासन कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृत पदो को भरने की कार्यवाही अविलम्ब करावें।
- 13 संयुक्त निदेशक (अकादमी) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि महाविद्यालयो में प्रवेश संबधित कार्य सम्पन्न करवाने की कार्यवाही अविलम्ब करावें।
- 14 प्राचार्य, संबधित राजकीय महाविद्यालय।
- 15 वेब प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दीपाली भार्गव

(डॉ. दीपाली भार्गव)

संयुक्त निदेशक (आयोजना)

कॉलेज शिक्षा विभाग राज.

जयपुर